

बिहार सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग

अधिसूचना




संचिका संख्या-5/अ0प्र0-01-02/2019

1264

/पटना दिनांक-25.2.2020

राज्य कर्मियों को रूपांतरित सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन का लाभ प्रदान करने संबंधी वित्त विभाग, बिहार सरकार द्वारा अधिसूचित संकल्प ज्ञापांक-7566 दिनांक-14.07.2010 बिहार राज्य कर्मचारी सेवा शर्त (रूपांतरित सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना) नियमावली-2010, पत्रांक-8928 दिनांक-15.11.2017 एवं समय-समय पर निर्गत अन्य संकल्पों/परिपत्रों के आलोक में दिनांक-29.01.2020 को आयोजित विभागीय स्क्रीनिंग समिति की बैठक में समिति द्वारा की गयी अनुशंसा के अनुरूप ग्रामीण कार्य विभाग संवर्ग के निम्नांकित सहायक अभियंताओं को उनके नाम के सामने स्तम्भ-7 में अंकित तिथि से स्तम्भ-8 में अंकित वेतनमान में प्रथम रूपांतरित सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन की स्वीकृति प्रदान की जाती है:-

क्रमांक	बैठक की कार्यवाही का क्रमांक	नाम/गृह जिला	वरीयता क्रमांक वर्ष 2016	जन्म तिथि/सेवानिवृत्ति की तिथि	प्रथम योगदान की तिथि एवं नियुक्ति का पद	प्रथम रूपांतरित सुनिश्चित वित्तीय उन्नयन की देय तिथि (10 वर्ष)	प्रथम रूपांतरित सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन का वेतनमान/वेतन स्तर
1	2	3	4	5	6	7	8
1	2	श्री पुष्कर प्रसाद/पूर्वी चम्पारण	367	05.11.1962	01.07.1987 तदर्थ स0अ0	26.03.2012	पी0बी0-3, ग्रेड पे-5400 (दिनांक 01.01.16 के प्रभाव से वेतन स्तर-11)
2	4	श्री जयप्रकाश नारायण/सुपौल	230	06.06.1959	02.07.1987 तदर्थ स0अ0	01.01.2009	पी0बी0-3, ग्रेड पे-5400 (दिनांक 01.01.16 के प्रभाव से वेतन स्तर-11)
3	7	श्री अशोक कुमार/वैशाली	231	15.10.1968	20.04.2005 स0अ0	01.01.2016	वेतन स्तर-11
4	8	श्री रवि शंकर कुमार/अरवल	270	07.02.1984	11.08.2008 स0अ0	11.08.2018	वेतन स्तर-11
5	11	श्री ऐनुल हक/गोपालगंज	381	15.05.1960	06.07.1987 तदर्थ स0अ0	28.03.2012	पी0बी0-3, ग्रेड पे-5400 (दिनांक 01.01.16 के प्रभाव से वेतन स्तर-11)
6	15	श्री राजेश प्रसाद/पटना	JE 459	22.12.1969	31.03.1999 क0अ0	31.03.2009	वेतन स्तर-11
7	58	हारून रशीद/सीवान	-	02.01.1956	27.06.1987 तदर्थ स0अ0	01.01.2009	पी0बी0-3, ग्रेड पे-5400 (दिनांक 01.01.16 के प्रभाव से वेतन स्तर-11)
8	63	श्री राकेश कुमार/बक्सर	183	25.08.1972	04.04.2004 स0अ0	01.01.2016	वेतन स्तर-11

Handwritten signatures and initials:




9	64	श्री अवधेश कुमार / नालन्दा	168	21.04.1966	09.08.2004 स0अ0	01.01.2016	वेतन स्तर-11
10	65	श्री अंजनी कुमार / खगड़िया	165	19.12.1965	10.08.2004 स0अ0	01.01.2016	वेतन स्तर-11
11	67	श्री राजेश कुमार चौधरी / मधुबनी	260	01.03.1980	11.08.2008 स0अ0	11.08.2018	वेतन स्तर-11
12	70	श्री वीरेन्द्र कुमार सिन्हा / पटना	251	05.08.1970	13.09.2008 स0अ0	13.09.2018	वेतन स्तर-11
13	72	श्री रामविनय सिंह / अरवल	152	02.10.1974	06.08.2004 स0अ0	01.01.2016	वेतन स्तर-11
14	73	श्री प्रवीण कुमार सिन्हा / शेखपुरा	158	01.04.1968	17.08.2004 स0अ0	01.01.2016	वेतन स्तर-11
15	81	श्री देवेन्द्र कुमार / सुपौल	JE 467	25.01.1972	12.02.2007 क0अ0	12.02.2017	वेतन स्तर-11
16	82	श्री राम नारायण साह / मधुबनी	JE 407	14.10.1966	31.03.1999 क0अ0	31.03.2009	वेतन स्तर-11
17	85	श्री राजेश कुमार / सीवान	262	12.12.1975	11.08.2008 स0अ0	29.01.2013	वेतन स्तर-11
18	86	श्री राधा रमण सिंह / मुंगेर	JE	23.01.1978	04.04.2007 क0अ0	26.04.2011	वेतन स्तर-08

- वित्तीय उन्नयन के फलस्वरूप उपर्युक्त सहायक अभियंताओं का वेतन नियतिकरण रूपांतरित सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना के परिशिष्ट-1 के नियम-4 के अनुसार किया जाएगा। मौलिक नियमावली के नियम 22 (1) ए (प) में निहित प्रावधान के आलोक में वेतन निर्धारण संबंधी विकल्प अधिसूचना निर्गत की तिथि से एक माह के अन्दर लिखित रूप से देना अनिवार्य होगा।
- उपर्युक्त किसी भी सहायक अभियंता के संबंध में भविष्य में किसी प्रकार की त्रुटि या पार्थक्य पाये जाने पर संबंधित सहायक अभियंता को प्रदत्त वित्तीय उन्नयन संबंधी लाभ को रद्द/संशोधित कर दिया जायेगा तथा उन्हें भुगतान की गयी राशि की वसूली/प्रतिपूर्ति कर ली जाएगी।
- यह वित्तीय उन्नयन व्यक्तिगत होगा, जिसका पारस्परिक वरीयता से कोई संबंध नहीं होगा।
- नियंत्री पदाधिकारी वेतन निर्धारण एवं देय लाभों के भुगतान से पूर्व संबंधित सहायक अभियंताओं के सेवा में टूट इत्यादि, जिससे वित्तीय उन्नयन प्रभावित होता हो, की जाँच कर संतुष्ट होने के उपरान्त ही भुगतान करेंगे।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

Dr. Singh

M. Singh
(मनोज कुमार)
सरकार के उप सचिव
क०प०उ०


ज्ञापांक-5/अ0प्र0-01-02/2019

1265

/पटना दिनांक-25-2-2020

प्रतिलिपि:-महालेखाकार, बिहार, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै0दा0नि0को0) विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुरोध है कि संबंधित नियमावली एवं परिपत्रों में निहित प्रावधानों के अनुसार जाँच कर यथानुमान्य वेतन पूर्जा निर्गत किया जाय।


25/2/2020
सरकार के उप सचिव


ज्ञापांक-5/अ0प्र0-01-02/2019

1265

/पटना दिनांक-25-2-2020

प्रतिलिपि:- माननीय विभागीय मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग के आप्त सचिव/सचिव ग्रामीण कार्य विभाग के प्रधान आप्त सचिव/सचिव/प्रधान सचिव, पथ निर्माण विभाग/वित्त विभाग/जल संसाधन विभाग/लघु जल संसाधन विभाग/भवन निर्माण विभाग/योजना एवं विकास विभाग/अभियंता प्रमुख, ग्रामीण कार्य विभाग/संबंधित मुख्य अभियंता/अधीक्षण अभियंता/कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग/संबंधित कोषागार पदाधिकारी/प्रशाखा पदाधिकारी-02, 03 एवं 04/संबंधित सहायक अभियंता एवं आई0टी0 मैनेजर, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


सरकार के उप सचिव
25/2/2020